



# कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही



सी.यू.जी. - 9454400307,

दूरभाष- 05414-250236,

ई-मेल- [spsrn-up@nic.in](mailto:spsrn-up@nic.in)

## प्रेस-नोट, जनपद भदोही

दिनांक- 06.03.2026

**पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु दिए गए निर्देश क्रम में थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा शांति, मनबढ़ किस्म के अभ्यस्त अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गुंडा एक्ट के तहत हुआ जिला बदर।**

**✓गोपीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार मुनादी कराकर जिला बदर की कार्यवाही की गई संपन्न**

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था, अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा शांति, मनबढ़ व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जनपद के थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए आमजन के साथ इनके अपराधों के द्वारा सामान्य जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर गुण्डागर्दी करने वाले अभ्यस्त अभियुक्त नीरज तिवारी पुत्र श्रीदत्त उर्फ श्रीधर तिवारी ग्राम आनापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के विरुद्ध निर्गत उ.प्र. गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की नोटिस धारा 3(1) की पुष्टि की जाती है,

अभियुक्त द्वारा आम जनता के लोगों के साथ मारपीट करना गाली-गुप्ता देना व जान से मारने की धमकी देने जैसा गम्भीर अपराध किया जाता है। इनके भय एवं आतंक से आम जनता कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध मुकदमा लिखाने का साहस नहीं करता है, अतः इसके विरुद्ध उ.प्र. गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु संस्तुति की गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप श्री शैलेश कुमार जिला मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा यू0पी0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत 06 माह के लिए जिला बदर घोषित किया गया है।

निर्गत आदेश के अनुपालन में आज दिनांक-06.03.2026 को सुरियावां पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान पर आदेश की उद्घोषणा कर एवं डुग-डुगी बजवाकर आदेश की प्रति चस्पा किया गया तथा अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्धारित अवधि के दौरान जनपद के अंदर निवासित पाए जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

जिलाबदर नीरज तिवारी पुत्र श्रीधर तिवारी ग्राम आनापुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही का आपराधिक इतिहास

- 1.मु.अ.सं. 118/17 धारा 392/411 भादवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
- 2.मु.अ.सं. 119/17 धारा 392/411 भादवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
- 3.मु.अ.सं. 241/18 धारा 392/411 भादवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
- 4.मु.अ.सं. 214/18 धारा 379/406 भादवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
- 5.मु.अ.सं. 119/18 धारा 392/411/414 भादवि थाना कोईरौना जनपद भदोही
- 6.मु.अ.सं. 57/17 धारा 356/411 भादवि थाना कोईरौना जनपद भदोही
- 7.मु.अ.सं. 82/17 धारा 147/148/323/504/506 भादवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
- 8.मु.अ.सं. 55/21 धारा 379 भादवि थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही
- 9.मु.अ.सं. 73/22 धारा 392/411 भादवि थाना ऊंज जनपद भदोही
- 10.मु.अ.सं. 63/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुर्गागंज जनपद भदोही
- 11.मु.अ.सं. 109/22 धारा 392/411 भादवि थाना चौरी जनपद भदोही
- 12.मु.अ.सं. 280/22 धारा 392/411 भादवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
- 13.मु.अ.सं. 112/18 धारा 356/411 भादवि थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।

